भारत का प्रस्तावित संविधान

प्रस्तावित संविधान का प्रारूप

उद्देष्यिका (Preamble)

हम भारत के नागरिक भारत में संविधान सम्मति गणतंत्र बनाने तथा सभी नागरिकों को–

(1) सत्ता का अकेन्द्रीयकरण

(2) अपराध मुक्ति

(3) आर्थिक अकेन्द्रीयकरण

(4) श्रम सम्मान

(5) समान नागरिक संहिता

भाग 1– परिभाषा

(1) क. परिवार – सयुक्त सम्पति संयुक्त उत्तरदायित्व तथा संविधान की धारा 111 के आधार पर पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों का समूह।

ख. प्रधान न्यायाधीष – सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीष।

ग. मूल रूपया – सन् 80 के आधार वर्ष पर रूपये का मूल्य।

घ. कृत्रिम ऊर्जा – पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, मिट्टी तेल और बिजली।

ड. संसद – लोकसभा तथा परिवार सभा।

च. राज्य– संसद संघ तथा उसकी शासन व्यवस्था।

भाग 2 – संघ संघ क्षेत्र और नागरिकता

2. भारत परिवारों का संघ होगा।

3. संघ और संघ क्षेत्र में होंगे जो –

1. वर्तमान भारतीय संविधान के अनुसार संघ क्षेत्र है।

2. भविष्य में भारत संघ में शामिल हो।

4. 1. वह प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो –

(क) इस संविधान के प्रारंभ में विधिवत् भारत का नागरिक है।

(ख) संसद द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार भारत की नागरिकता ग्रहण करें।

2.जो व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे वह विधि अनुसार छोड़ सकेगा।

भाग 3 – मूल अधिकार

5. राज्य या संसद धारा 165/6 के अतिरिक्त कोई ऐसी विधि नहीं बनायेगा जो संविधान के इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो।

6. भारत के प्रत्येक नागरिक को

1. जीने का

2.अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का

3.सम्पति का

4.स्व निर्णय का

उस सीमा तक अधिकार होगा कि वह किसी अन्य नागरिक के इस धारा में वर्णित अधिकारों का हनन न करें।

7 यदि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का इस प्रकार उपयोग करता है कि उससे किसी अन्य व्यक्ति के किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो राज्य का यह दायित्व होगा कि उस अन्य व्यक्ति के उस मूल अधिकार की रक्षा करे तथा हनन करने वाले व्यक्ति को विधि अनुसार दण्डित करे संसद को यह शक्ति होगी कि वह विधि विरूद्ध कार्य करने वाले का दण्डित करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की राय से विधि बनावे।

8 राज्य का यह भी दायित्व होगा कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार के हनन होने पर उक्त को वैसा मुआवजा दे जो न्यायालय विधि अनुसार उचित समझे।

9 किसी भी व्यक्ति को तभी अपराधी माना जायेगा जब वह कोई ऐसा कार्य करे जो राज्य द्वारा आयोजित किसी विधि के विरूद्ध हो साथ ही उसे वही सजा दी जा सकेगी जो कार्य करते समय प्रवृत्ति विधि के अधीन घोषित थी।

10 किसी एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दण्डित नहीं किया जायेगा।

11 किसी व्यक्ति को उसके मूल अधिकारों से विधि द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जा सकेगा।

12. प्रत्येक व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है।

क.)उसकी गिरफ्तारी का कारण उसे तुरन्त बताया जायेगा।

ख.) निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेष करके उनकी अनुमति के बिना गिरफ्तारी के चौबीस घण्टे से अधिक समय तक गिरफ्तार नहीं रखा जा सकेगा।

परन्तु यदि आवागमन की दूरी के कारण कुछ विलम्ब हो तो मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति पर विचार करेगा।

ग.) अपनी रूचि के वकील से परामर्ष या प्रतिरक्षा के उपाय से वंचित नहीं किया जायेगा।

13. हर व्यक्ति को विधिपूर्वक अर्जित की हुई सम्पति किसी भी सीमा तक रखने का अधिकार होगा परन्तु संसद को धारा 162/2, 129 तथा 153 (2) के आधार पर कर लगाने का अधिकार होगा।

14. संसद को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति की सम्पति को अर्जित करने का नियम बना सके यदि –

1. राज्य को उक्त सम्पति की आवष्यकता हो।

2. राज्य के दृष्टि में किसी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण पत्र में घोषित मूल्य से सम्पति का मूल्य अधिक हो।

3. कोई अन्य व्यक्ति सम्पति का मूल्य घोषित मूल्य से न्यूनतम तीस प्रतिषत अधिक देने को सहमत हो।

परन्तु किसी भी व्यक्ति की सम्पति का अर्जन नहीं किया जा सकता यदि –

(क) उसे घोषित मूल्य से 25 प्रतिषत अधिक मूल्य न दिया जाये।

(ख) पंजीकरण पत्र में मूल्य घोषणा के बाद किसी विषेष कारण से उक्त सम्पति का मालिक घोषणा में संषोधन हेतु सहमत हो।

(ग) उपधारा (1) (2) के अन्तर्गत आने वाले स्थिति में संपत्ति का मालिक प्रस्तावित मूल्य का 10 प्रतिषत राज्य या घोषणा करने वाले व्यक्ति को देने हेतु सहमत हो जाये।

15. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने के अधिकार की गारंटी दी जाती है इसके लिये उच्चतम न्यायालय को आवष्यकतानुसार आदेष बन्दी प्रत्यक्षीकरण, रिट, परमादेष, अधिकार, पृच्छा, प्रतिषोध और उत्प्रेरणा रिट जारी करने की शक्ति होगी।

16. किसी भी व्यक्ति के आपराधिक आचरण को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्तिगत आचरण की व्यक्तिगत आलोचना उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जायेगा।

भाग 4 – राज्य और उसकी संरचना

17. भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

18. (क) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

(ख) संघ के रक्षा का सर्वोच्च समादेष राष्ट्रपति में निहित होगा तथा उसकी प्रयोगविधि द्वारा विनियमित होगा।

(ग) इस अनुच्छेद की कोई बात राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवाश्रित नहीं करेगी।

19 राष्ट्रपति का निर्वाचन संघ सभा के सदस्यों द्वारा होगा। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकेगा।

20. कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकेगा।

21.(1) राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष तक या जब तक उसका उत्तराधिकारी पदग्रहण न करे तब तक पद पर बना रहेगा।

क. यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हाथ से लिखे लेख द्वारा अपने पद का त्याग न करने दे।

ख. या राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर धारा 28 में उपबंधित रीति से चलाये गये महाभियोग द्वारा पद से न हटा दिया जाये।

(2) उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल लोक सभा एवं परिवार सभा के अध्यक्षों को देगा।

22. भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

23. उपराष्ट्रपति परिवार सभा का पदेन सभापति होगा तथा संघ सभा एवं संघ पंचायत का सभापति होगा।

24. 1. राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अस्थायी रूप से तब तक बना रहेगा जब तक कोई नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर लें।

2. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या बीमारी या अन्य कारणों से कार्य असमर्थता की स्थिति में उनके फिर से कार्य संभालने तक राष्ट्रपति का कार्य भार उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे।

3. उपधारा 1. तथा 2. की स्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाली सभी सुविधाए भत्ते शक्तियाँ तथा उन्मुक्तियाँ प्राप्त होगी।

25. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन परिवार सभा द्वारा अपने बीच से ही किया जायेगा।

26 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद के कार्यकाल में न तो कोई लाभ का पद रख सकेंगे न ही किसी परिवार पंचायत सभा अथवा सदन के सदस्य ही रह सकेंगे।

27.उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष या नयी व्यवस्था होने तक का होगा यदि –

1.उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके तथा स्वयं के हाथ से लिखित पत्र द्वारा पद न छोड़ दे।

परिवार सभा उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प न पारित कर दे जो उपस्थित परिवार सभी सदस्यों के 2/3 मत से कम न हो।

28 1. जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो संसद का कोई सदन आरोप लगा सकेगा यह आरोप उस सदन के न्यूनतम एकचौथाई सदस्यों द्वारा सूचित करने के चौदह दिन बाद ही विचार करके उस सदन के न्यूनतम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित होना आवष्यक रहेगा।

2. उपधारा एक के आधार पर उपराष्ट्रपति के विरूद्ध लगाये गये महाभियोग प्रस्ताव पर दूसरा सदन विचार करेगा। राष्ट्रपति के विचार सुनेगा तथा न्यूनतम दो तिहाई बहुमत से ही उक्त प्रस्ताव को पारित कर सकेगा इस प्रकार दूसरे सदन में प्रस्ताव पारित कर सकेगा इस प्रकार दूसरे सदन में प्रस्ताव पारित होते ही उपराष्ट्रपति को सूचना दी जायेगी तथा राष्ट्रपति का पद स्वमेव रिक्त हो जायेगा।

29. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद बीच में खाली होने पर अधिकतम 6 माह की अवधि के अन्दर फिर से चुनाव होगा तथा नये निर्वाचित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी पाँच वर्ष होगा।

30 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विषयों का विनियमन संसद विधि द्वारा करेगी।

31 राष्ट्रपति को किसी अपराधी के दण्ड को क्षमा करने सजा में परिवर्तन या निलम्बन का अधिकार होगा।

32 इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन्हीं विषयों तक होगा जिन विषयों के सम्बन्धों में संसद को विधि बनाने की शक्ति है।

33. 1. राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता तथा सलाह देने के लिये मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

परन्तु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुर्नविचार करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसे पुर्नविचार के पष्चात् दी गई सलाह के आधार पर कार्य किया जायेगा।

2. राष्ट्रपति तथा मंत्रीपरिषद के बीच की सलाह के विषय में न्यायालय को जांच करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

34. 1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।

2. मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त अपने पद धारण करेंगे।

3. मंत्री परिषद सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

4. मंत्रियों के वेतन भत्ते शपथ इस प्रकार होगी जैसे संसद निष्चित करें।

5. प्रधानमंत्री अथवा मंत्री परिषद के सदस्य को 6 माह के अन्दर संसद सदस्य होना अनिवार्य होगा यदि वह बाहरी है।

35 मंत्री मण्डल प्रत्येक पांच वर्ष पर स्वमेव भंग हो जायेगा तथा राष्ट्रपति

1. समय पूरा होने के बाद भंग होने पर।
2. बीच में ही लोक सभा का विष्वास खो देने पर।
3. त्याग पत्र दे देने पर।

नई मंत्री परिषद का गठन करेगा। इस मंत्री परिषद की अवधि भी पांच वर्ष होगी।

36 1. भारत सरकार की समस्त कार्यपालिक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जायेगी।

2.राष्ट्रपति के नाम से किये गये कार्यों आदेषों को राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर अभिप्रमाणित किया जा सकेगा। ऐसे अभिप्रमाणित कार्य राष्ट्रपति द्वारा किये गये माने जायेंगे।

3.राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिए मंत्रियों में कार्य आबंटन के नियम बनायेगा।

37 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह –

1. संघ के कार्यों के प्रषासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मांगे वह उपलब्ध करावें।

38 संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी जिसके नाम लोकसभा और परिवार सभा होंगे।

39 परिवार सभा निम्नांकित को मिलाकर बनेगी –

1. राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ऐसे दस व्यक्ति जिन्हें साहित्य विज्ञान कला या सामाजिक सेवा के विषय में विषेष ज्ञान या अनुभव हो।

2. प्रान्तीय सभाओं द्वारा अपने बीच से चुने गये व्यक्ति जो प्रत्येक प्रान्तीय सभा द्वारा प्रत्येक दो के अनुपात से चुने जायेंगे।

3.संघ सभा द्वारा आपने बीच से चुने गये चालीस सदस्यों

40 1. लोकसभा चार सौ पंचानबे निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्येक से एक के आधार पर चुनकर आये सदस्यों से मिलाकर बनेगी।

2. बीस जिलों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र होगा।

3. लोकसभा सदस्य के चुनाव में परिवार के मुखिया/उप मुखिया द्वारा अपनी सदस्य संख्या के आधार पर मत दिया जायेगा।

41 लोक सभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष अधिकतम एक सौ सदस्यों का होगा जो प्रत्येक प्रदेष से होंगे। साथ ही किसी सदस्य के त्यागपत्र मृत्यु अथवा निष्कासन की स्थिति में उस स्थान पर उसके कार्यकाल के बीच में भी निर्वाचन होगा। उक्त सदस्य का कार्यकाल उतना ही होगा जितना जाने वाले का शेष था।

42 राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह उसी वर्ष पद मुक्त होने वाले सदस्यों की टीम को समय पूर्व ही भंग करके उसका तत्काल चुनाव करा दे। यह चुनाव बाद में होने वाले चुनाव के समान माना जायेगा।

43 परिवार सभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

44 राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह परिवार सभा को कभी भी भंग करके उसका चुनाव फिर से करा दे यदि उसका कार्यकाल कम से कम दो वर्ष हो चुका हो।

45 धारा 44 के आधार पर बनी परिवार सभा का कार्यकाल भी धारा 43 के अनुसार ही होगा।

46 चुनाव आयोग के अन्तर्गत होने वाले किसी भी चुनाव के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

47 राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिवेषन के लिये आहुत करेगा जैसा वह उचित समझे तथा जिसका समय पिछली बैठक से छः माह से अधिक न हुआ हो।

48 राष्ट्रपति समय समय पर किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकेगा।

49 1. राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में प्रत्येक सदन या दोनों सदनों के एक साथ अभिभाषण करेगा तथा संसद को उसके आह्वान के कारण बतायेगा।

2. प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करने हेतु उपबंध किया जाएगा।

50 प्रत्येक मंत्री का यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन की बैठक में भाग ले और वाले किन्तु वह उस सदन में मत नहीं दे सकेगा जिसका वह सदस्य नहीं है।

51 परिवार सभा अपने बीच से एक उप सभापति का चुनाव करेगी जो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या उनके या राष्ट्रपति का दायित्व संभालने की स्थिति में अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति का कार्य संभालेगा।

52 परिवार सभा के उपसभापति की पद मुक्ति उपराष्ट्रपति के समान होगी।

53 संविधान के अन्तर्गत निर्वाचन द्वारा निर्मित किसी इकाई के पदाधिकारी के विरूद्ध अविष्वास प्रस्ताव पर विचार करते समय वह व्यक्ति न तो उक्त प्रस्ताव पर मतदान कर सकेगा। न ही अध्यक्षता या संचालन परन्तु वह विचार विमर्ष में भाग ले सकेगा।

54 लोकसभा के किसी सदस्य के विरूद्ध उसी लोकसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले न्यूनतम पंद्रह जिलों की जिला पंचायतें एकसाथ बैठकर प्रस्ताव पारित करती है तो उक्त सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसा प्रस्ताव न्यूनतम पांच जिला पंचायत द्वारा पारित करके प्रान्तीय पंचायत के अध्यक्ष को दिया जायेगा तथा प्रांतीय पंचायत का अध्यक्ष बीस जिला पंचायतों की बैठक करेगा।

55 1. लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी।

2. लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तभी तक अपने पद पर रहेंगे जब तक –

(क) वे स्वयं अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर से अपना त्यागपत्र न दे।

(ख) लोक सभा अविष्वास प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटा न दे।

(ग) वह लोकसभा का सदस्य न रहे।

56 संसद के किसी सदन के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस सदन का कोई भी सदस्य अध्यक्षता कर सकेगा जिसे सदन अवधारित करे।

57 प्रत्येक सदन के सभापति उपसभापति तथा सदस्य ऐसे वेतन भत्ते या सुविधाएँ प्राप्त कर सकेंगे जो संघ सभा समय समय पर निष्चित करें।

58 संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृन्द होगा। संसद ऐसे कर्मचारी वृन्द की नियुक्ति सेवा शर्ते वेतन भत्ते आदि के नियम बना सकेगी।

59 पद ग्रहण करते समय –

1. राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीष के समक्ष।
2. उपराष्ट्रपति मंत्रीमण्डल के सदस्य प्रधान न्यायाधीष तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीष राष्ट्रपति के समक्ष।

3. संसद सदस्य तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। अनुसूची एक में वर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा। तथा हस्ताक्षर करेगा।

60 एक व्यक्ति संसद के एक ही सदन का सदस्य रह सकेगा। परन्तु एक ही व्यक्ति संसद का सदस्य होते हुए किसी पंचायत का सदस्य रह सकता है।

61 संसद का कोई सदस्य भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा।

62 यदि किसी संसद सदस्य की योग्यता को चुनौती दी जाती है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त की सलाह से अन्तिम निर्णय करेगा। जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

63 1. इस संविधान के उपबंधों के तथा संसद की प्रक्रिया का नियमन करने वाले नियमों तथा स्थायी आदेषों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वातंत्र होगा।

2. संसद में या उसकी समिति में कही गई किसी सदस्य की कोई बात या उसके दिये गये मत के विषय में न्यायालय कोई विचार नहीं कर सकेगा। परन्तु यदि कोई संसद सदस्य आरोप लगाता है कि उसे बलपूर्वक अपना नियमानुसार मत देने या विचार प्रकट करने में अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी ने बाधा उत्पन्न की है तो न्यायालय ऐसे मामले में सुनवाई कर सकेगा।

64 कोई भी विधेयक –

1. संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकेगा।

4. संसद के दोनों सदनों की अलग–अलग अक्षरषः सहमति के बाद ही पारित माना जायेगा।

5. संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक या संषोधन पर अन्तिम रूप से सहमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा तथा संयुक्त बैठक के निर्णय को अन्तिम माना जायेगा।

64 संसद के दोनों सदनों में अलग–अलग या संयुक्त रूप से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करेगा। तत्पष्चात विधेयक पर कार्यवाही शुरू हो जायेगी किन्तु संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पारित विधेयक के राष्ट्रपति अपनी असहमति होने पर पुनः संयुक्त बैठक में प्रस्तुत कर सकता है।

65 1. राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ से न्यूनतम एक माह पूर्व संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की आगामी वर्ष की प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवायेगा।

2. संसद में रखे जाने वाले प्राकलन विवरण का स्वरूप संसद निष्चित करेगी।

3. ससंद में प्रस्तुत वित्त विधेयक के अतिरिक्त व्ययों के लिये संसद से अनुदान मांग विधेयक स्वीकृत कराकर ही खर्च किया जा सकेगा।

4.ससंद द्वारा पारित वित्त विधेयक और अनुदान विधेयक के आधार पर शासन संचित निधि से राषि आहरित कर सकेगी।

67 इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद का प्रत्येक संदन तथा संविधान सभा अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिये नियम बना सकेगी।

68 दोनों सदनों की सयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा।

69 संसद वित्तिय कार्य या भारत की संचित निधि से विनियोग हेतु संसदीय स्वीकृति समय के भीतर करने की व्यवस्था करेगी यदि संविधान का कोई भी उपबन्ध ऐसे कार्य में बाधक होगा तो राष्ट्रपति ऐसी बाधा को तत्काल दूर करने हेतु लोकसभा से निवेदन करेगा तथा लोकसभा यह मानकर कि भविष्य में विधिवत् प्रक्रिया पूरी हो जायेगी उक्त निवेदन के आधार पर स्वीकृति दे सकती है।

परन्तु ऐसी स्वीकृति अन्य वर्ष की बाधाओं के लिए लाभ तब तक नहीं दे सकेगी जब तक उसे विधिवत् पारित न करा लिया जाये।

70 1. संसद किसी कार्यवाही की विधि मान्यता की प्रक्रिया को किसी अनियमितता के आधार पर प्रष्नगत नहीं किया जायेगा।

2. संसद का कोई अधिकारी या सदस्य संसद के चालन के दायित्व को पूरा करने में किये गये कार्यों के लिये न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा।

71 राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि अविलम्ब कार्यवाही आवष्यक है परन्तु संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेष जारी कर सकेगा जिसकी शक्ति संसद का अगला सत्र समाप्त होने के ठीक पूर्व तक उसी तरह की होगी जैसे संसद में पारित प्रस्ताव की होती है।

72 भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा।

73 उच्चतम न्यायालय का एक प्रधान न्यायाधीष तथा ग्यारह अन्य न्यायाधीष होंगे।

74 प्रधान न्यायाधीष तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीषों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे परन्तु –

1. किसी अन्य न्यायाधीष की नियुक्ति करते समय प्रधान न्यायाधीष की सलाह आवष्यक है।

2. न्यायाधीष की नियुक्ति के लिए आवष्यक है कि वह व्यक्ति 1. प्रधान न्यायाधीष के लिए उच्चतम न्यायालय का तथा। 2.न्यायाधीष के लिये किसी या किन्हीं प्रादेषिक न्यायालयों में न्यूनतम पांच वर्ष तक न्यायाधीष रहा हो।

75 उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीष को सिर्फ उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता जो राष्ट्रपति के महाभियोग में अपनाई जाती है।

76 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीष पैंसठ वर्ष की उम्र से अधिक उम्र तक कार्य नहीं कर सकेंगे।

77 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में संसद विचार करेगी तथा संसद की अवमानना पर सर्वोच्च न्यायालय विचार करेगा।

78 उच्चतम न्यायालय दिल्ली या प्रधान न्यायाधीष द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थान पर अधिविष्टि होगा।

79 इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय को

1. संविधान की किसी भी धारा की व्याख्या करने का

2. भारत के अन्दर स्थापित किसी भी प्रषासनिक इकाई संसद संघ सभा पंचायत या परिवार के आपसी विवाद अपील के माध्यम या सीधे या किसी भी न्यायालय में चल रहे मुकदमें को मंगाकर।

3. प्रादेषिक न्यायालयों के विरूद्ध अपील या मंगाकर, सुनने तथा निर्णय करने का अधिकार होगा।

80 सर्वोच्च न्यायालय प्रत्येक प्रदेष में एक प्रान्तीय न्यायालय जिले में जिला न्यायालय तथा आवष्यकतानुसार अन्य न्यायालयों की इस प्रकार स्थापना व्यवस्था तथा संचालन करेगा कि प्रत्येक नागरिक के न्याय मिले तथा अपराधों पर सक्षम नियंत्रण हों।

81 सर्वोच्च न्यायालय की सलाह से राष्ट्रपति न्यायालयों की व्यवस्था संबंधी विधि बनायेगा।

82 सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर संसद ऐसी विधि बनायेगी जिसके आधार पर प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था बनाये रखने के उद्देष्य से अपराधियों के दण्ड की व्यवस्था हो सके। परन्तु यदि संसद तथा सवोच्च न्यायालय के बीच किसी मुद्दे पर अंतिम रूप से असहमति होगी तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रमुख न्यायाधीष मिलकर अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे।

83 यदि संविधान की किसी धारा की व्याख्या के मुद्दे पर न्यूनतम पचीस प्रतिषत न्यायाधीष असहमत हो जाते हैं तो न्यायाधीषों की दोनों प्रकार की व्याखाएँ संविधान सभा के समक्ष जायेंगी तथा संविधान सभा बिना अपना कोई अन्य मत व्यक्त किये किसी एक मान्यता को स्वीकार करेगी जो अंतिम व्याख्या होगी।

84 यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्ड घोषित किया गया है तथा वह व्यक्ति दोनों आंखे दान देकर जीवित रहने की याचना करता है न्यायालय संसद द्वारा निष्चित विधि के आधार पर जिसमें उसकी जमानत या अन्य शर्तों उल्लेखित हों उस व्यक्ति को जीवित रहने की अनुमति दे सकेगा।

85 सर्वोच्च न्यायालय की देष के किसी भी न्यायालय पर किसी भी मामले में सर्वोच्चता प्राप्त होगी।

86 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान से प्राप्त अधिकारों के भीतर दिये गये निर्णय सरकार तथा संसद के लिये बाध्यकारी होंगे।

87 संसद सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शक्तियाँ देने के लिये सक्षम है जो इस संविधान की किसी धारा के प्रतिकूल न हो तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवष्यक हों।

88 किसी भी न्यायालय की सुनवाई तथा निर्णय गुप्त नहीं होंगे परन्तु 1. उपरोक्त धारा संविधान की धारा 149, 150, 151, 152 पर लागू नहीं होगी। 2. कोई न्यायालय किसी प्रकरण विषेष की सुनवाई या निर्णय गुप्त रूप से चलाने की अपने ऊपर के न्यायालय से अनुमति न ले चुका हो।

89 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियाँ प्रमुख न्यायाधीष या उनसे अधिकार प्राप्त व्यक्ति संघ आयोग के परामर्ष से करेगा।

90 अपराधियों के आर्थिक दण्ड तथा न्यायालय के व्यय के बीच ऐसा संतुलन बनाने का प्रयास किय जायेगा कि न्यायालय का कोई व्यय भारत की संचित निधि पर भारित न हो।

91 भारत एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा उसे उसी विधि से हटाया जा सकेगा जो राष्ट्रपति के लिये निष्चित है।

92 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन तथा सेवा शर्तो ऐसी होगी जो संसद निर्धारित करें।

93 संविधान तथा संसद की विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कार्य करने वाले लोगों की प्रषासनिक शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें वही होगी जो महालेखा परीक्षक के परामर्ष से राष्ट्रपति निष्चित करें।

94 नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसी भी सभा पंचायत संघ शासन के आय व्यय संबंधी

1. लेखा पुस्तकें रखने की विधि राष्ट्रपति से बनवायेगा।

2. उनकी समय–समय पर जांच करेगा।

3. जांच पष्चात् उनकी रिपोर्ट संविधान सभा में एवं राष्ट्रपति को पेष करेगा जा संसद तथा संघ सभा के समक्ष रखी जायेगी।

95 (क) राष्ट्रपति अपने पद की शैलियों के प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिये किये गये या किये जाने वाले किसी कार्य के लिये किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे।

(ख) राष्ट्रपति पर उसकी पद अवधि के अन्तर्गत किसी प्रकार के दण्ड, गिरफतारी या मुकदमा चाले रखने की कार्यवाही किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जायेगी।

——— भाग –5 परिवार ———

96 भारत का प्रत्येक नागरिक किसी परिवार का सदस्य होगा। परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य नहीं है, न रहना चाहता है तो वह एकल परिवार बना सकता है जिसे मतदान के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकार होंगे। ऐसा व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य नहीं बन सकेगा न वह कोई चुनाव लड़ सकेगा।

97 प्रत्येक परिवार का एक परिवार प्रमुख होगा जो उस परिवार में सब से अधिक उम्र का व्यक्ति होगा। यदि ऐसा परिवार का मुखिया चुन लिया जाता है तो उसके बाद की उम्र का व्यक्ति प्रमुख बनेगा।

98 प्रत्येक परिवार में उतने उपपरिवार होंगे जितने गाँव में वे निवास करते होंगे।

99 प्रत्येक उपपरिवार का एक मुखिया होगा जिसका चयन उपपरिवार के सभी सदस्य गुप्त मतदान द्वारा बनाई गई प्रक्रिया से करेंगे तथा जिसका कार्यकाल पांच वर्ष होगा।

100 परिवार के प्रत्येक सदस्य की सम्पति सामूहिक होगी तथा सम्पूर्ण सम्पति पर प्रत्येक सदस्य का समान अधिकार होगा। वह सम्पति किसी व्यक्ति के परिवार छोड़ते समय उसकी व्यक्तिगत होगी तथा नये परिवार में शामिल होते ही उस परिवार की हो जायेगी। किसी सदस्य के समानता के अधिकार को किसी समझौते द्वारा कम नहीं किया जा सकता।

101 प्रत्येक सदस्य के मौलिक अधिकार परिवार में भी सुरक्षित और निहित होंगे। परन्तु किसी बात के लिये परिवार का कोई सदस्य –

1. परिवार के किसी सदस्य के विरूद्ध
2. किसी अन्य परिवार के विरूद्ध बिना मुखिया की सहमति के किसी न्यायालय या पुलिस में जाता है तो उसकी उक्त परिवार से संबद्धता तत्काल समाप्त हो जायेगी।
3. परन्तु उक्त बंधन उसके पंचायत या सभा में अपनी बात रखने पर लागू नहीं होगा तथा उन स्थितियों में भी नहीं होगा जब तत्काल मुखिया की सहमति संभव न हो तथा संभव होते ही सहमति मिल जावे।

102 उपपरिवार का मुखिया परिवार प्रमुख के नाम तथा सहमति से ही उपपरिवार का संचालन करेगा। किसी मुद्दे पर प्रमुख द्वारा अन्तिम रूप से अस्वीकार करने पर परिवार के सभी सदस्य मिलकर निर्णय करेंगे।

103 परिवार की कार्य प्रणाली परिवार के लोग तय करेंगे।

104 परिवार प्रमुख मुखिया को कभी भी बर्खास्त कर सकेगा परन्तु यदि परिवार ऐसी स्थिति में दो तिहाई बहुमत से उसी का या किसी अन्य का चयन कर दे तो मुखिया को प्रमुख नहीं हटा सकेगा।

105 यदि परिवार चाहे तो किसी मुखिया के प्रस्ताव पर 90 प्रतिषत के बहुमत से प्रमुख को अवकाष देकर उसके बाद की उम्र के सदस्य को चुन सकता है।

106 यदि परिवार चाहे तो दो तिहाई बहुमत से किसी मुखिया को हटाकर बहुमत से नया मुखिया नियुक्त कर सकता है। जो उपपरिवार का मुखिया होगा।

107 यदि कोई व्यक्ति शासकीय परिवार में शामिल होता है तो वह अपनी सम्पूर्ण सम्पति तथा अधिकार शासन में निहित करेगा। ऐसा व्यक्ति शासन से मौलिक आवष्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रतिवर्ष सात सौ मूल रूपया तथा बीमार होने की स्थिति में जमा सम्पति के अतिरिक्त 4000 मूल रूपये इलाज खर्च कराने का पात्र होगा। साथ ही यह भी कि यदि उसकी बीमारी पर कोई खर्च नहीं हुआ तो वह पुनः शासन में निहित अपनी सम्पति लेकर किसी परिवार में शामिल हो सकता है। पर एकल परिवार नहीं बन सकता।

108 परिवार का कोई सदस्य अपराध करता है तो न्यायालय उस व्यक्ति के लिये उस परिवार को सामूहिक रूप से दण्ड दे सकेगा जिस परिवार का निर्णय होते समय वह सदस्य है।

109 न्याय बाह्म सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विदेष व्यापार तथा व्यवहार एवं वित्त विभाग केन्द्र सरकार के अधिकार में होंगे। अन्य सभी व्यवहार के अधिकार परिवार में निहित होंगे तो वह आवष्यकतानुसार ग्राम सभा को दे सकेगा। संसद को उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त कोई विधि बनाने का अधिकार नहीं होगा।

110 संघ तथा संसद के बीच टकराव की स्थिति में लोक सभा परिवार तथा संघ पंचायत बैठकर दो तिहाई बहुमत से निष्कर्ष निकालेंगे तथा यदि कोई समस्या फिर भी बनी रहती है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति मिलकर जो निर्णय करेंगे वह अंतिम होगा। परन्तु यदि ऐसा निर्णय असंवैधानिक हो तो न्यायालय में जाने पर कोई रोक नहीं होगी।

111 1. प्रत्येक परिवार उस ग्राम सभा के अध्यक्ष के पास पंजीकृत होगा जिसमें (क) उसके परिवार के प्रत्येक सदस्य का पूरा विवरण तथा (ख) उसकी सम्पूर्ण सम्पति का उस समय के आधार पर मूल्य अंकित होगा।

2. प्रत्येक पंजीकरण पर ग्रामसभा की एक फीस होगी जो प्रत्येक परिवार के लिये समान होगी।

3. पंजीकरण से प्राप्त सम्पूर्ण धन पंजीकरण के व्यय काटकर उस ग्राम सभा के प्रत्येक परिवार में सदस्य संख्या के आधार पर वितरित कर दिया जायेगा।

4. पंजीकरण शुल्क का निर्धारण संसद करेगी।

5. यदि उप परिवार होगा तो।

प्रत्येक मुखिया अपने उप परिवार का अपनी ग्राम सभा में पंजीकरण करावेगा जिसमें उक्त उपपरिवार के सभी सदस्यों का विवरण अंकित होगा।

—— भाग 6 सभाएँ तथा पंचायतें ——

112 (1)परिवार के बीच सुविधा के लिये ग्राम सभा बनाई जायेगी।

(2)ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा इस तरह बनाई जायेगी कि देष की किसी भी ग्राम सभा की न्यूनतम तथा अधिकतम आबादी का अन्तर तीन गुना से अधिक न हो।

(3)प्रत्येक उपपरिवार का मुखिया ग्राम सभा का सदस्य होगा।

(4)ग्राम सभा के वे ही अधिकार तथा कर्तव्य होंगे जो वह 90 प्रतिषत के बहुमत से तय करें।

113 (1.) ऐसी ग्राम सभा अपने सदस्यों के बीच से सात लोगों का चुनाव करके ग्राम पंचायत बनायेगी।

(2) ग्राम पंचायत के वे ही अधिकार कर्तव्य तथा कार्य प्रणाली होगी जो ग्राम सभा तय करे।

114 1. अधिकतम 99 पंचायतों की एक जिला सभा होगी। इन पंचायतों के सभी सदस्य जिला सभा के सदस्य होंगे।

2. प्रत्येक जिला सभा अपने बीच से सात लोगों का चुनाव करके एक जिला पंचायत बनायेगा।

3. जिला सभा तथा जिला पंचायत के अधिकार कर्तव्य तथा कार्य प्रणाली जिला पंचायत के अधिकार कर्तव्य तथा कार्य प्रणाली जिला सभा तय करेगी।

115 1. अधिकतम 100 जिला पंचायतों को मिलाकर एक प्रान्तीय सभा बनेगी। जिला पंचायत का प्रत्येक सदस्य उसका सदस्य होगा।

2. ऐसी प्रान्तीय सभा आपने बीच में बीस लोगों का चयन करके एक प्रान्तीय पंचायत का गठन करेगी।

3. प्रान्तीय सभा तथा प्रान्तीय पंचायतों के कर्तव्य अधिकार तथा कार्यप्रणाली प्रान्तीय सभा तय करेगी।

116 अधिकतम 100 प्रान्तीय पंचायतें मिलकर एक संघ सभा का गठन करेगी। प्रान्तीय पंचायत का प्रत्येक सदस्य संघ सभा का सदस्य होगा।

117 संघ सभा अपने बीच से पचास लोगों का चयन करके संघ पंचायत बनायेगी।

118 संघ सभा तथा संघ पंचायत के वे ही अधिकार कर्तव्य तथा कार्य प्रणाली होगी जो संघ सभा निष्चित करे।

119 यदि किसी पंचायत का कोई सदस्य या पंचायत उपर वाली सभा की सदस्यता न ग्राहण करना चाहे तो वह स्वतंत्र है परन्तु उपर वाली सभा के निर्णय उस पर भी सामान्य रूप से लागू होंगे।

120 सभाओं का परिसीमन इस तरह किया जायेगा कि संघ सभा के बनने के बाद कोई सभा शेष न बच जाये।

121 लोकसभा और ग्राम पंचायत के चुनाव तथा ग्राम सभा के सभी कार्यों में मुखिया ही मतदान करेगा एवं मतदान के समय मुखिया के मत उसकी सदस्य संख्या के आधार पर गिने जायेंगे।

122 केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रषासनिक अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत जिला सभा तथा जिला पंचायत प्रान्तीय सभा तथा प्रान्तीय पंचायत के अध्यक्ष होंगे।

2. ये अधिकारी किसी भी बैठक का आयोजन तथा संचालन करेंगे शासन से समन्वय स्थापित करायेंगे उपर वाली सभा से आपसी व्यवहार की व्यवस्था करेंगे तथा कोई कठिनाई होने पर शासन तथा उपर वाली सभा को सूचित करेंगे परन्तु ऐसा अधिकारी उक्त सभा या पंचायत के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा तथा अपना मत भी नहीं दे सकेगा। लेकिन ऐसे अधिकारी द्वारा भी बैठक में संवैधानिक या कानूनी स्थिति का बताना हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा।

3. किसी भी सभा द्वारा पंचायत को दिये गये अधिकारों में नये चुनाव तक कोई कटौती नहीं की जायेगी।

123 (1) कोई भी सभा दो तिहाई बहुमत से उस पंचायत को भंग कर सकती है जिसे उसने चुना है। ऐसे पंचायत सदस्य की उपर वाली सभा सदस्यता भी समाप्त हो जायेगी।

(2) ऐसी मध्यावधि चुनाव से बनी पंचायत का कार्यकाल वही होगा जो पूर्ववति का शेष था।

(3) ग्राम सभा का विघटन और चुनाव कभी नहीं होगा।

124 ग्राम सभा को छोड़कर अन्य सभी सभाओं तथा पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

भाग 7 वित्त सम्पति तथा समझौते

125 संघ राज्य का सम्पूर्ण आय–व्यय भारत की संचित निधि से संचालित होगा।

126 भारत की संचित निधि, अन्य किसी भी शासकीय राषि की अभिरक्षा उधार लेन देन अथवा आदान प्रदान संसद द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन होगा।

127 इस संविधान के प्रारंभ से तत्काल पूर्व जो सम्पत्ति या देनदारी संघ सरकार राज्य सरकार या स्थानीय शासन के अन्तर्गत निहित थी उन सबका दायित्व संघ सरकार का होगा। परन्तु भूमि या भवन के मामले में स्थानीय शासन की संस्थाओं के भवन या भूमि का स्वामित्व उस क्षेत्र की सभा का होगा जिसमें वह भवन या भूमि स्थित है।

128 1. भारत की सीमाओं में पन्द्रह किलोमीटर अथवा पन्द्रह किलोमीटर के आस पास की वह रेखा जो संघ सरकार निष्चित करें कि बीच का भाग संघ सरकार की व्यवस्था तथा स्वामित्व का होगा।

2. उपधारा एक में निवास करने वाले व्यक्तियों का कोई मूल अधिकार नहीं होगा।

परन्तु सवंधान के लागू होने के पूर्व तक निवास करने वाले अपनी सम्पति का मुआवजा ले सकेंगे।

129 संसद देष की व्यवस्था के लिये अपने सभी नागरिक, संस्थागत, सार्वजनिक, व्यक्तिगत, या पारिवारिक सम्पत्ति, पर कर लगा सकेगी जो उस सम्पूर्ण सम्पत्ति का दो प्रतिषत वार्षिक से अधिक से अधिक नहीं हो सकता।

130 ससंद वर्ष भर व्यय करने तथा भारत की संचित निधि में अधिकतम कुल वार्षिक व्यय के आधे तक संचित करने के बाद शेष धन का प्रत्येक परिवार में उसकी सदस्य संख्या के आधार पर समान रूप में वितरण करने की व्यवस्था करेगी।

131 किसी भी सभा अथवा पंचायत को कोई कर लगाने का अधिकार नहीं होगा। वे स्वयं द्वारा किये गये सेवाओं के लिये फीस लगा सकती है अथवा विषेष आवष्यक होने पर अपने सदस्यों से दान प्राप्त कर सकती है।

भाग 8 – शासकीय सेवाएँ

132 संघ के लिये एक लोक सेवा आयेाग होगा। इसके एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ती राष्ट्रपति करेंगे तथा इनकी योग्यता संसद द्वारा निष्चित की जायेगी। इनका कार्यकाल छः वर्ष का होगा।

133 लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(1)संघ की सेवाओं में नियुक्तिओं के लिये परीक्षाओं का संचालन करें।

(2)संघ की सेवा कर रहे सेवकों की प्रोन्नति स्थानान्तरण या अनुषासन की कार्यवाही के सम्बन्ध में शासन को सलाह दे।

134 संघ लोक सेवा आयेाग की व्यवस्था पर होने वाला व्यय भारत की संचित निधि पर अवधारित होगा।

135 1. संघ लोक सेवा आयेाग अपने कार्यों की एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट के वे अंष जो संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को शासन द्वारा अमान्य किये जाने के सम्बन्ध में हो संसद के समक्ष रखवायेगा।

2. लोक सेवा आयोग की देख रेख में पूरे देष मे बी.ए. तथा उसके उपर की षिक्षार्थियों की परीक्षायें आयोजित की जायेगी। ये परीक्षाएँ लेकर दिये गये प्रमाण पत्र वैध होंगे तथा अन्य उपयोगों के साथ किसी भी कालेज के षिक्षक या प्राचार्य होने के लिये आधार होंगे।

136. संविधान में अंकित विषेष उपबन्धों के अतिरिक्त प्रत्येक निर्वाचन में कुल वैध मतदान का पचास प्रतिषत से अधिक मत प्राप्त करना आवष्यक होगा। यदि ऐसा निर्णायक मत किसी को प्राप्त नहीं होता है तो उस पद के लिये सर्वाधिक तथा उससे कम में सर्वाधिक मत पाने वाले के बीच पुनः सीधा मतदान होगा।

137 1. इस संविधान के अधीन बनने वाली संसद, संविधान, सभा, परिवार के मुखिया, पंचायतों तथा अन्य निर्वाचित पदों के लिये कराये जाने वाले सभी चुनावों की व्यवस्था के लिये एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे।

2.निर्वाचन आयेाग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ससंद द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन करेंगे जिनका कार्यकाल छः वर्ष होगा। कार्यकाल के बीच में इन्हें हटाने की प्रकिया वही होगी जो राष्ट्रपति के लिये नियम है।

3. चुनाव आयोग संसद परिवार पंचायत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी भी सभा या संसद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की उस तरह व्यवस्था करेगा जैसे संसद नियम बनावें।

138 निर्वाचन आयुक्तों का वेतन तथा कार्यविधि ऐसी होगी जैसी संसद निष्चित करे।

139 निर्वाचन आयोग का सारा खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होगा।

140 इस संविधान में विषेष रूप से उल्लेखित विषयों को छोड़कर संसद संविधान के अन्तर्गत रहे हुए निर्वाचन संबंधी किसी भी नियम में कभी भी परिवर्तन संषोधन परिवर्तन या निरसन न कर सकेगी।

भाग 10 — भाषा

141 1. राज्य की भाषा हिन्दी होगी।

2. संसद को यह अधिकार होगा कि वह हिन्दी के अतिरिक्त किसी एक अन्य भाषा के व्यवहार की अनुमति दे सकेगी।

142 संसद के दोनों सदनों में भी हिन्दी तथा अनुच्छेद 141/2 के आधार पर स्वीकृत भाषा का प्रयोग हो सकेगा।

143 यदि कोई सदस्य किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना चाहे तो वह कर सकता है परन्तु अनुवाद की कोई व्यवस्था नहीं होगी।

144 कोई भी पंचायत या सभा अपना कार्य किसी भी भाषा में कर सकती है।

145 राज्य को यह अधिकार होगा कि वह विदेषों से पत्र व्यवहार किसी भी अन्य भाषा में कर सकता है।

भाग 11 – आपातकाल

146 यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि युद्ध बाह्य आक्रमण या सषस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी क्षेत्र में सुरक्षा को गंभीर खतरा है तो वह उपराष्ट्रपति तथा प्रमुख न्यायाधीष से प्रत्यक्ष चर्चा करके तथा सहमति से भारत या किसी क्षेत्र में आपातकाल लगा सकेगा।

147 1. आपातकाल में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तथा प्रमुख न्यायाधीष की टीम को यह विषेष अधिकार होगा कि वह शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये उन सभी विवेकाधिकारों का उपयोग करें जो वे आवष्यक समझें।

2. आपातकाल के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले भाग की सम्पूर्ण सम्पति पर अधिकतम 10 प्रतिषत का विषेष कर लगा दे। परन्तु ऐसे किसी आदेष की आवष्यकता के औचित्य को न्यायालय में संघ सभा द्वारा चुनौती दी जा सकेगी। इसके विचार में प्रमुख न्यायाधीष शामिल नहीं होंगे।

148 राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की अधिकतम अवधि आगे होने वाले संसदीय सत्र के समापन के ठीक पूर्व समाप्त हो जायेगी या संसद द्वारा किये जाने वाले निष्चय के आधार पर चलेगी।

149 यदि जिले की 1.जिला सभा का अध्यक्ष 2. जिला पुलिस प्रमुख 3.जिला जज
सर्व सम्मति से अनुभव करें कि उस जिले में गवाहों में भय के कारण न्याय में बाधा पड़ रही है। तो वे उस जिले को गुप्त रूप से आपात क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। जिसकी सूचना सहमति अवधि अथवा कार्यविधि के लिये किसी अन्य की आवष्यकता नहीं होगी। परन्तु दो वर्ष के भीतर जिला सभा से सहमति लेनी होगी।

150 आपात क्षेत्र के अन्तर्गत होने वाले किसी भी अपराध के लिये पुलिस की गुप्तचर शाखा जिला न्यायालय में गुप्त मुकदमा उस किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत कर सकेगी। जिसे इस संविधान की किसी भी धारा में उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है।

151 जिला न्यायालय धारा 150 के अन्तर्गत प्रस्तुत किसी भी मुकदमें की जाँच अपनी उस न्यायिक खुफिया एजेन्सी से करायेगा जो उसे प्रदेष न्यायालय उपलब्ध करावे तथा तदनुसार जिला न्यायालय निर्णय करेगा।

152 जिला न्यायालय की कार्यवाही तथा निर्णय तब तक गुप्त रहेगा जब तक उसे कार्यान्वित न कर दिया जाये।

2. ऐसा कार्यान्वयन होते ही अपराधी चाहे तो प्रदेष न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसकी गुप्त जांच सर्वोच्च न्यायालय की खुफिया एजेन्सी से करायी जायेगी।

153 1. राष्ट्रपति यदि महसूस करे कि

(क) समाज में आर्थिक असमानता असीमित हो गई है।

(ख) संघ की आर्थिक स्थिति संतोष जनक नहीं है।

तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति मिलकर सम्पूर्ण देष में आर्थिक आपात काल की घोषणा कर सकते हैं।

(2) आर्थिक आपातकाल में राष्ट्रपति उस क्षेत्र में आने वाली सम्पति पर आपात कर लगा सकते हैं जो एक वर्ष में अधिकतम 2 प्रतिषत तक हो सकता है।

(3) यदि आर्थिक आपातकाल उपधारा एक की (क) के आधार पर लगाया गया है तो उपधारा दो से प्राप्त सम्पूर्ण धन प्रत्येक परिवार को उसकी रजिस्टर्ड सदस्य संख्या के आधार पर समान रूप से वितरित किया जायेगा।

भाग 12 – मिश्रित

154 इस संविधान के लागू होते ही पिछले कानून नियम या उपनियम इस प्रकार शून्य होंगे कि इस संविधान की धाराओं के आधार पर नये कानून नियम या उपनियम बनाकर उन्हें शून्य घोषित किया जाये।

155 कोई भी बैठक की कार्यवाही उसकी कुल निर्वाचित सदस्य संख्या के न्यूनतम में।

1. संसद के किसी सदन की या संयुक्त की या संयुक्त बैठक में चालीस प्रतिषत।

2. परिवार या किसी सभा की बैठक में पचास प्रतिषत।

3. किसी पंचायत की बैठक में साठ प्रतिषत से कम होने पर गणपूर्ति होने तक रूक जायेगी या स्थगित हो जायेगी।

156 संविधान में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर किसी भी संस्था का निर्णय उपस्थित वैध मतों के बहुमत से किया जायेगा।

157 राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीष, संसद के किसी सदन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के भत्ते, वेतन सुविधाएँ तथा उन्मुक्ताएँ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे जो संसद निष्चित करें।

158 किसी अन्य देष से विवाद की स्थिति में भारत सरकार तथा संसद पंच फैसले या संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय को स्वीकार करेगी।

परन्तु यदि ऐसा पंच फैसला या संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्णय बहुत अधिक हानिकर हो तो संघ सभा, संसद या संविधान सभा पृथक इकाई के रूप में सर्व सम्मति से अस्वीकार भी कर सकते हैं।

159 भारतीय संविधान के अन्तर्गत किसी भी मामले में धर्म, भाषा, लिंग तथा जाति का कोई भेद भाव नहीं किया जायेगा।

160 (1) भारत में एक संविधान सभा होगी जिसके अधिकतम एक सौ दस सदस्य होंगे।

(2) संविधान सभा में प्रत्येक प्रदेष से एक व्यक्ति चुना जायेगा। जिसमें (क) डिग्री कालेज या उसके उपर के कालेज के प्राचार्य ही निर्वाचित हो सकेंगे। (ख) डिग्री कालेज या उसके उपर की कालेज के षिक्षक ही मतदान कर सकेंगे।

(3) संविधान सभा में अधिकतम दस ऐसे सदस्यों का चयन प्राचार्यो की सभा करेगी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीष रहे हो तथा संसद द्वारा घोषित प्रारूप के आधार पर घोषणा करें कि वे जीवन पर्यन्त सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेंगे।

(4) संविधान सभा का कार्यकाल दस वर्ष का होगा।

(5) बी.ए. या उसके उपर के कालेजों के षिक्षक या प्रचार्यों पर सक्रिय राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध रहेगा।

161 देष का सारा आर्थिक हिसाब या वेतन तथा मूल्य संसद द्वारा घोषित वर्ष के मूल रूपया में लिखे जायेंगे या मूल रूपये को चालू रूपया में बदल कर ही लिखे जायेंगे इस संविधान में वर्तमान में अंकित मूल रूपया की मान्यता सन 81 के आधार पर है।

162 1. भारत की प्रगति का आंकलन न्यूनतम श्रम मूल्य में वृद्धि के आधार पर किया जायेगा।

2. यदि राष्ट्रपति आष्वस्त हो कि भारत के न्यूनतम श्रम मूल्य में वृद्धि के लिये विषेष प्रयास आवष्यक है तो वह कृत्रिम उर्जा पर उस सीमा तक मूल्य वृद्धि कर सकेंगे जो श्रम मूल्य वृद्धि के लिये आवष्यक प्रतीत हो।

163 संविधान में किसी अन्य धारा के होते हुए भी संसद धारा 130 तथा 153/3 के आधार पर प्रति व्यक्ति अर्थ वितरण की उन माता पिता को न देने का प्रावधान बना सकेगी जिसके संसद द्वारा घोषित सीमा से अधिक संतान हों।

164 संविधान में किसी अन्य धारा के होते हुए भी तथा भाग तीन के होते हुए भी किसी व्यक्ति के लिए ऐसे घातक हथियार रखने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा जैसा संसद विधि द्वारा घोषित करें। परन्तु राज्य के विषिष्ट पदाधिकारी तथा सुरक्षा के निमित नियुक्त उन व्यक्तियों पर यह बंधन नहीं होगा जिन्हें संसद विधि द्वारा उन्मुक्ति दे।

भाग 13 – संविधान संशोधन

165 1. भारत के संविधान में किसी तरह के संषोधन की आवष्यकता महसूस होने पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में ऐसा संविधान संषोधन विधेयक प्रस्तुत करेगा।

2. संविधान संषोधन दोनों सदनों में कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के न्यूनतम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत होगा।

3. दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष भेजा जायेगा जो उसे स्वीकार अस्वीकार या संषोधित कर सकती है।

4. संसद के दोनों सदन संविधान सभा के संषोधन या सुझाव पर बहुमत से निर्णय करेंगे।

5. यदि संसद के दोनों सदन तथा संविधान सभा किसी संषोधन के प्रारूप पर पूर्णतया सहमत हो जाते हैं। तो उस संविधान संषोधन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तथा संविधान संषोधित हो जायेगा।

6. परन्तु ऐसा कोई संषोधन भाग तीन में करना हो तो वह प्रस्ताव जनमत के लिये प्रसारित करना होगा जिस पर निर्वाचन आयुक्त की देख रेख में विषेष सहमति प्राप्त की जायेगी। उसके बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे।